

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 28)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

गोपाल बनाना सन्तोष देवी वगै०
हदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०न०/१०५५ सन् 2021 जीसीएमएस नं.


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 191, 196, 225, 346, 349, 350 किता 6 रकबा 1.48 हेक्ट. अवस्थित ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना में किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान / पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन / वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.11.2021 को पेश हो।



16/11 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सघ ने आज अदालती कार्य का पालन कर रखा है। प्रकरण को संशोधन अनुसार दिनांक 2/2/22 को पेश हो।

